



फर्द अहकाम

भावान सहज बनाम रामचन्द्र व अन्य  
 ताल्य उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

135/24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/6/2024	<p>वकील वादी ने शका अन्तर्गत धारा 188 RTA 1955 बाबत स्थाई निपेधाना का पत्रा किताबवादी का वाद दर्ज रजिस्टर किमा जागे। प्रतिकरीण की तमबी रजिण्डक तमवागा पत्रा करे। प्रतिकरीण को सम्मन जारी कर पणवागी दि० 23/7/24 को पत्रा से।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      जयपुर द्वितीय (सांगानेर)                 </p>	
23/7/24	<p>पत्रावली फेर हुई। वादी व वकील वक्त्र उअ नहीं। वक्त्र अप्रसत वादी व उनके अधि के धार-धार आवाज लगवाई गई। धारका आवाज लगेके के धार भी वादी व उनके अधि वक्त्र की ओर ले कोई भी उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अइम होजरी अइम फेरकी मे वारिज किमा जाता है। पत्रावली फेरक शुमार होकर दर्ज नइस ले कम से, वाद तमबील कसिण दफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;">                       उप खण्ड अधिकारी                      जयपुर (द्वितीय)                 </p>	

